उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या-2289/नौ-7-12-27ज./2004
लखनऊ : दिनांक : 23 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में जन सामान्य को नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश के नागर निकायों द्वारा पेयजलापूर्ति, संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु समुचित सफाई व्यवस्था, नाले/नालियों एवं सीवर लाइन की सफाई सुनिश्चित करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलयुक्तों/नगर आयुक्तों को शासनादेश दिनांक 23.04.2012 तथा 09.07.2012 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। जन मानस को उक्त मूलभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यों की प्रगति की जानकारी हेतु प्रदेश में औचक निरीक्षण टीम गठन किये जाने की आवश्यकता पायी गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त सफाई व्यवस्था, पेयजलापूर्ति, सीवर लाइन की सफाई तथा नाले/नालियों की सफाई के कार्य का आकस्मिक निरीक्षण हेतु प्रदेश के नागर निकायों के लिये निम्नवत् टीम गठित की जाती है:

1. संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी। अध्यक्ष।
2. संबंधित जिले के मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा नामित संक्रामक रोग चिकित्साधिकारी। सदस्य।
3. संबंधित जिले के जल निगम के अधिशासी अभियन्ता। सदस्य।

3. प्रत्येक जिले के उक्त टीम द्वारा अपने जिले के नागर निकायों में की जा रही सफाई व्यवस्था, पेयजलापूर्ति, सीवर लाइन की सफाई तथा नालों की सफाई का आकस्मिक निरीक्षण कर उसकी आख्या संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। जिलाधिकारी निरीक्षण में पायी गयी कमी हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की संस्तुति शासन/निदेशक स्थानीय निकाय उ.प्र. को उपलब्ध करायेंगे।

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

R-7. KARYALAY GYAAP

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय उ.प्र. लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से समस्त नागर निकायों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ.प्र. लखनऊ।
5. निजी सचिव, मा. नगर विकास मंत्री एवं निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, नगर विकास विभाग की वेब-साइट पर डालने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

R-Z. KARYALAY GYAAP